Banjarawala Package - 03 (RP)

कार्यकारी सारांश अद्यतन पुर्नवास योजना (डब्ल्यू0एस0 & एस0–डी0डी0एन0–03)

परियोजना पृष्ठभूमि – प्रस्तावित उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना (यू0आई0आर0यू0डी0पी0) का उद्देश्य सुरक्षित और किफायती पेयजल आपूर्ति तक सार्वभौमिक समान पहुंच में सुधार करना और खुले में शौच को समाप्त करते हुए सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं समान पेयजल और स्वच्छता सुविधा तक पहुंच बनाना है। परियोजना का उपेक्षित परिणाम देहरादून और नैनीताल में जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि है। परियोजना के चार प्रमुख अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं: (i) आउटपुट 1: देहरादून में जल आपूर्ति प्रणाली और सेवा में सुधार हुआ; (ii) आउटपुट 2: देहरादून और नैनीताल में एकीकृत स्वच्छता प्रणाली और जल निकासी में वृद्धि, (iii) आउटपुट 3: देहरादून और नैनीताल में विकसित और कार्यान्वित पानी और स्वच्छता के लिए कम्प्यूटरीकृत रखरखाव और प्रबंधन प्रणाली (सी0एम0एम0एस0), (iv) आउटपुट 4: परियोजना प्रबंधन, संस्थागत क्षमता और ज्ञान को मजबूत किया।

यह पुनर्वास योजना आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के तहत उप–परियोजना अनुबंध पैकेजों में से एक के लिए तैयार की गई है, जो कि देहरादून की दक्षिणी परिधि में स्थित 2018 में संशोधित नगर निगम सीमा के आधार पर नए जोड़े गए वार्डों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था का विकास वार्ड संख्या 83 (केदारपुर) और 85 (मोथरोवाला) शामिल हैं । इस पुनर्स्थापन योजना को विस्तृत माप सर्वेक्षण (डी0एम0एस0) के आधार पर अद्यतन किया गया है, साथ ही परियोजना पैकेज क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के लिए जलापूर्ति, सीवर पाइपलाइनों और वर्षानी जल निकासी के लिए अंतिम डिजाइन के अनुसार पुनर्सत्यापन सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन किया गया है। सभी स्थानों के लिए नलकूपों और ऊर्ध्व जल जलाशय के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भूजल पुनर्भरण गड्ढों, वर्षा जल संचयन संरचनाओं और सामुदायिक सेप्टिक टैंकों के लिए अंतिम डिजाइन का कार्य गतिमान है तथा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

परियोजना विवरण– परियोजना के अंतर्गत नव विस्तारित देहरादून, जोन 7 का दक्षिणी भाग प्रस्तावित है, जिसमें केदारपुर, बंजारावाला और मोथरोवाला वार्ड शामिल हैं। इस परियोजना क्षेत्र की स्थलाकृति और जल विज्ञान के आधार पर इसे तीन कार्य अनुबंध पैकेजों में विभाजित किया गया है। इस अनुबंध पैकेज 2 के मुख्य घटकों में शामिल हैं: (i) 1000 लीटर प्रति मिनट (एल0पी0एम0), 1500 एल0पी0एम0 और 1500 एल0पी0एम0 क्षमता वाले तीन गहरे नलकूपों की स्थापना (ii) 650 किलो लीटर (के0एल0) और 800 के0एल0 क्षमता वाले दो ऊर्ध्व जल जलाशय(ओ0एच0टी0) का निर्माण (iii) जल आपूर्ति नेटवर्क के 48.261 किलोमीटर (कि0मी0) की स्थापना (iv) 57.51 कि0मी0 सीवर पाइप की स्थापना (v) 1,950 पानी के कनेक्शन और 1650 संख्या में घरेलू सीवर कनेक्शन की स्थापना और (vi) 30 कि0मी0 ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना।

पुनर्वास योजना– देहरादून में बंजारावाला क्षेत्र के लिए ट्यूबवेल, ऊर्ध्व जल जलाशय , वितरण नेटवर्क, ट्रंक सीवर, पैकेज डब्ल्यू0एस0&एस0–डी0डी0एन0–03 को शामिल करते हुए जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली के प्रस्तावित विकास के लिए अद्यतन पुनर्वास योजना तैयार की गई है। पैकेज 3 में लक्षित क्षेत्रों के भीतर सभी निवासियों के लिए बेहतर जल निकासी, सीवरेज और स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित की जाएगी। अद्यतन पुनर्स्थापन योजना विस्तृत डिजाइन के आधार पर परियोजना घटकों के निर्माण के लिए अनैच्छिक पुनर्वास के संभावित प्रभावों का आँकलन करती है। शहरी सड़कों के किनारे – किनारे विक्रेता और दुकान आदि की पहचान की गई है जिन पर पेयजल तथा सीवर पाइपलाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत पी0सी0आर0 फार्म, दून यूनिवर्सिटी रोड, मोथरोवाला ब्रिज और पुलिस चौकी के पास दून यूनिवर्सिटी रोड के पास के कुछ स्थानों पर पानी की आपूर्ति और सीवर पाइपलाइन बिछाने के दौरान संभावित प्रतिकूल प्रभावों (अस्थायी संभावित आय हानि) की पहचान की जाती है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई0एम0पी0) के अनुसार सभी प्रतिकूल प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं; ऐसे स्थान जहां अनैच्छिक पुनर्वास प्रभाव अपरिहार्य हो, में हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार पुनर्वास योजना में बजट का प्रविधान किया गया है।

भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास का दायरा– भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास का दायरा– परियोजना कार्यान्वयन के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊर्ध्व जल जलाशय (ओ0एच0टी), नलकूप, जल आपूर्ति और सीवर पाइपलाइन बिछाने, बरसाती जल नालियों के निर्माण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, आउटफॉल संरचनाओं के निर्माण के लिए संपूर्ण सिविल कार्यों का निर्माण सरकारी स्वामित्व के तहत भूमि और सड़क का अधिकार (आर0ओ0डब्ल्यू) में किया जाएगा। ऊर्ध्व जल जलाशय (ओ0एच0टी0) और नलकूपों के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि खंड उत्तराखंड जल संस्थान (यू0जे0एस0) और देहरादून नगर निगम (दे0न0नि0) के स्वामित्व में हैं, डी0एम0ए0 5, ओ0एच0ए0टी0 और ट्यूबवेल के लिए चिन्हित भूमि क्षेत्र एक खाली प्लॉट है जो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त है, डी0एम0ए0 4 में ओ0एच0टी0 और ट्यूबवेल के लिए पहचाने गए स्थान और डी0एम0ए0 6 में केवल ट्यूबवेल, मौजूदा संरचनाओं के लिए कोई भी नये निर्माण कार्य से प्रभावित नहीं होंगे। नई संरचना किसी भी मौजूदा संरचना को प्रभावित नहीं करने वाली है। अत: सभी चयनित जमीनें अतिक्रमण

मुक्त हैं। सीवर पाईपलाइन तथा मौजूदा सरकारी सड़कें लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) और डी0एन0एन0 के स्वामित्व में (आर0ओ0डब्ल्यू0) के भीतर रखी जाएगी। यह अद्यतन पुनर्वास योजना विस्तृत डिजाइन, क्षेत्र के दौरे, सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ चर्चा पर मौजूदा जानकारी की समीक्षा पर आधारित है, साथ ही परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में संबंधित विभागों, उपयोगकर्ता समूहों और समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया है।

अनुबंध पैकेज क्षेत्र में प्रभावित व्यवसायों के ट्रांज़ेक्ट वॉक और सर्वेक्षणों के आधार पर, अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का आँकलन किया गया है। यह आकलन किया गया है कि बीस (20) सड़क किनारे स्थित दुकान मालिकों (प्रभावित परिवार के सदस्यों की संख्या 118) को निर्माण चरण के दौरान व्यवधान की अवधि के दौरान (26 दिनों के रूप में अनुमानित) के लिए अस्थायी आय हानि होगी संभावित है। यह अद्यतन आरपी साइटों और संरेखण के 100% सर्वेक्षण पर आधारित है। चूंकि प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन (डिजाइन बिल्ड एंड आपरेश्न) के माध्यम से होना है, अत: ठेकेदार द्वारा विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप देने के दौरान प्रस्तावित प्रमुख बुनियादी ढांचे और विभिन्न सहायक संरचनाओं के लेआउट और डिजाइन में कुछ आवश्यक बदलाव किये गये हैं। साथ ही विस्तृत डिजाइन और जनगणना सर्वेक्षण (डी0एम0एस0) के माध्यम से अंतिम विस्तृत डिजाइन को तय करने के दौरान अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का आकलन किया गया है। अद्यतन पुनर्वास योजना को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन, डी0एम0एस0, जनगणना सर्वेक्षण और साइट आधारित विशिष्ट परामर्श के आधार पर अद्यतन किया गया है। साथ ही सभी परियोजना स्थलों और सभी सड़कों पर पेयजल एवं सीवर पाइपलाइन बिछाई जाने वाले संभावित क्षेत्रों के प्रभाव का 100 प्रतिशत मूल्यांकन शामिल किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) और परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी0एम0डी0एस0सी0) ने अद्यतन पुनर्वास योजना के लिए 100 प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों को शामिल करते हुए सत्यापन सर्वेक्षण किया है। जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और तूफानी जल निकासी के लिए कट–ऑफ तिथि 08 अप्रैल 2022 है।

प्रभाव से बचाव और न्यूनीकरण– ई0एम0पी0 में प्रदान किए गए शमन उपायों के अनुसार अधिकांश परिकल्पित प्रभावो के कम होने की उम्मीद है। विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों के साथ सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए रात के घंटों और गैर–बाजार दिनों के दौरान काम पर विचार किया जाएगा। अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों से बचने और कम करने के लिए, सड़क के किनारे की दुकानों, विक्रेताओं विशेष रूप से संकरी सड़कों और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में, बाजार क्षेत्रों में, निर्माण कार्यक्रम (चरणबद्ध तरीके से) को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श किया जाएगा।

वर्गीकरण– परियोजना को एशियाई विकास बैंक के सुरक्षा नीति वक्तव्य (ए0डी0बी0 एस0पी0एस0) 2009 के अनुसार 'श्रेणी बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कानूनी ढांचा– यू0आइ0आर0यू0डी0पी0 के लिए नीतिगत ढांचा और पात्रता निम्नलिखित कानूनों और नीतियों पर आधारित है: 1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0ए0) 2013 और , **2.** ए0डी0बी0 एस0पी0एस0, 2009 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार।

पात्रताएं, सहायता और लाभ– पुनर्वास योजना में प्रस्तुत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स परियोजना क्षेत्र में सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सभी संभावित हानियों के मुआवजे का प्राविधान करता है। सामान्य तौर पर, सीवरेज परियोजना के तहत प्रभावित लोग निम्नलिखित प्रकार के मुआवजे और सहायता के हकदार होते हैं: (i) प्रभाव की अवधि के लिए आय के नुकसान के लिए मुआवजा; (ii) स्थानांतरण भत्ता; और (iii) कमजोर समूहों को अतिरिक्त सहायता।

परामर्श और सूचना प्रकटीकरण– अनुबंध पैकेज क्षेत्र के तहत परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्य के दायरे का खुलासा परियोजना के संभावित लाभार्थियों, प्रभावित व्यक्तियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों के लिए किया गया है। स्वीकृत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और पुनर्वास योजना सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है, यथा शहर में उत्तराखंड सरकार के संबंधित कार्यालय और ए0डी0बी0 वेबसाइट के माध्यम से इस पुर्ववास योजना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय भाषा में अनुवादित परियोजना सूचना प्रकटीकरण पत्रक की प्रतियां निर्माण अवधि के दौरान हमेशा निर्माण साइट पर रखी जाएंगी।

शिकायत निवारण तंत्र – उत्तराखंड समावेशी और रेजीलिएंट शहरी विकास परियोजना (यू0आई0आर0यूडी0पी0) का शिकायत निवारण तंत्र (जी0आर0एम0), समुदायों और अन्य हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने, उनकी शिकायतों को दर्ज करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निवारण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यालय आदेश सोशल / यू0यू0एस0डी0ए0 / आ0ई0ई0सी0 / 182 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के तहत एक त्रिस्तरीय सामान्य जी0आर0एम0

स्थापित किया गया है, इस हेतु समुचित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। परियोजना शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब, कमजोर और अन्य लोगों को जागरूक किया जाए और वे जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बने। अद्यतन पुनर्वास योजना में उल्लिखित शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों और शिकायतों को संवाद, संयुक्त तथ्य–खोज , बातचीत और समस्या समाधान के माध्यम से सहयोगात्मक, शीघ्र और प्रभावी तरीके से हल किया जा सके।

पुनर्वास योजना बजट– पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए यथोचित बजट राशि प्रस्तावित है। जिससे अस्थायी आय हानि के लिए मुआवजा, एकमुश्त स्थानांतरण भत्ता और पहचान किए गए लोगों को एकमुश्त सहायता शामिल की गयी है। पी0आई0यू0 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते में राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (यदि बैंक खाते नहीं हैं) के पहचान पत्र तैयार करना और बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करेगी।

संस्थागत व्यवस्था– शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार, यू0आई0आर0यू0डी0पी0 की कार्यकारी एजेंसी है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0), एक विशेष उद्देश्य वाहन, परियोजना कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी (आई0ए0) द्वारा देहरादून और नैनीताल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए शहर/नगर स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (पी0आई0यू0) स्थापित की गई हैं। पी0एम0यू0/पी0आई0यू0 को परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी0एम0डी0एस0सी0) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो कार्यक्रम प्रबंधन सहायता प्रदान करेगा, डिजाइन और निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा साथ ही नीतिगत सुधारों पर भी सलाह प्रदान करेगा। पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर पी0एम0यू0/पी0आई0यू0 द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एजेंसी(सी0ए0ए0पी0ए0) पी0एम0यू0 और पी0आई0यू0 को प्रभावित व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित करने और प्रभावित व्यक्तियों और हितधारकों के साथ एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और शिकायत निवारण तंत्र के प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

निगरानी और रिपोर्टिंग– पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन पर पी0एम0यू0 द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि पुनर्वास की प्रगति का आकलन करने और संभावित कठिनाइयों और समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रभावी आधार तैयार किया जा सके। पी0एम0यू0 को कानूनी समझौतों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों और प्रासंगिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन प्रदर्शन पर समय–समय पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। निगरानी रिपोर्ट संबंधित पी0आई0यू0 द्वारा पी0एम0यू0 के साथ साझा की जाएगी और संकलित रिपोर्ट को ए0डी0बी0 के साथ साझा की जाने वाली अर्ध–वार्षिक निगरानी रिपोर्ट में समेकित किया जाएगा। पी0एम0यू0/यू0आई0आर0यू0डी0पी0 अर्ध–वार्षिक आधार पर ए0डी0बी0 को निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और ए0डी0बी परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट जारी होने तक परियोजना की निगरानी करता रहेगा।